सप्तदश

बिहार विधान सभा

दशम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 18 कार्तिक, 1945 (श०) / 09 नवम्बर, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 08

(1)	नगर विकास एवं आवास विभाग - - -	01
(2)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग - - -	04
(3)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग - - -	01
(4)	कृषि विभाग - - -	02
	कुल योग —	08

औचित्य बतलाना

16. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 11 जुलाई, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "कृषि सेक्टर से होगा बिहार का आर्थिक विकास" के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप लागू है फिर भी राज्य में कृषि के लिये आधारभूत संरचना जैसे भंडारण, कोल्ड स्टोरेज आदि की काफी कमी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आज भी राज्य के 15 से अधिक जिलों में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं रहने से राज्य के किसानों को कृषि उत्पादों जैसे आलू, टमाटर, गोभी, आम, केला, लीची के संरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो तीसरे कृषि रोड मैप कार्यान्वित होने के बाद भी कोल्ड स्टोरेज एवं भंडारों की कमी रहने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक है। वर्तमान में बिहार राज्य में 200 कोल्ड स्टोरेज कार्यरत है, जिसकी कुल क्षमता 1205085 MT है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है । 12 (बारह) जिलों में कोल्ड स्टोरेज नहीं है । कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु कृषक/कृषक समूह/उद्यमियों/FPO/FPC को सहायतानुदान उपलब्ध कराने के लिये नई योजना प्रक्रियाधीन है ।

(3) तीसरे कृषि रोड मैप अवधि के दौरान कुल 7 नये कोल्ड स्टोरेज का निर्माण/क्षमता वृद्धि की स्वीकृति दी गई है तथा कार्यरत है, जिसकी कुल क्षमता 21896.135 MT हैं । कृषि विभाग द्वारा कोल्ड स्टोरेज एवं भंडारण गृह का निर्माण नहीं किया जाता है ।

मखाना भंडारण का निर्माण यदि कोई मखाना उत्पादक कृषक कराना चाहते हैं तो मखाना विकास योजनान्तर्गत 5 मैट्रिक टन क्षमता के मखाना भंडारण गृह के निर्माण पर परियोजना लागत मूल्य 10 लाख रुपये पर 75 प्रतिशत अर्थात् 7.5 लाख रुपये सहायतानुदान दिये जाने का प्रावधान है ।

प्याज भंडारण संरचना का निर्माण यदि कोई प्याज उत्पादक कृषक कराना चाहते हैं तो सब्जी विकास योजनान्तर्गत 50 मैट्रिक क्षमता की परियोजना लागत 6 लाख रुपये पर 75 प्रतिशत अर्थात् 4.5 लाख रुपये सहायतानुदान दिये जाने का प्रवधान है ।

कोल्ड स्टोरेज का निर्माण यदि कोई निवेशक/उद्यमी/कृषक कृषक समूह कराना चाहते है तो उन्हें राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत क्रेडिट लिंक्ड बैंक इण्डेड सब्सिडी के तहत दो प्रकार के कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु निम्न प्रकार से सहायतानुदान देने का प्रावधान है :-

1. कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप 1 (एकल तापमान क्षेत्र) सहायतानुदान--परियोजना लागत मूल्य 8,000 प्रति मेट्रिक टन अधिकतम 5,000 मेट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज निर्माण हेतु कुल लागत 400 लाख (चार करोड़) का एक व्यक्ति को 35 प्रतिशत अर्थात् 1.40 लाख (एक करोड़ चालीस लाख) रुपये मात्र सहायतानुदान दिये जाने का प्रावधन है ।

2. कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप 2 (मल्टी चैम्बर) सहायतानुदान--परियोजना लागत मूल्य 10,000 प्रति मेट्रिक टन अधिकतम 5,000 मेट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज निर्माण हेतु कुल लागत 500 लाख (पाँच करोड़) का एक व्यक्ति को 35 प्रतिशत अर्थात् 175 लाख (एक करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र सहायतानुदान दिये जाने का प्रावधान है ।

चालू कराना

17. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 28 सितम्बर, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "13 हजार नल-जल योजनाएं हैं बन्द" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पंचायती राज विभाग से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांरित 57948 नल-जल योजनाओं में 13858 नल-जल योजना बंद पड़े हैं, यदि हाँ, तो इन बंद योजनाओं को सरकार कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को लोक स्वास्थ्य अभियंता द्वारा इसके संचालन हेतु हस्तगत लिया जा रहा है । दिनांक 13 सितम्बर, 2023 तक हस्तगत योजनाओं में से 13858 योजनाएं बंद थी ।

योजनाओं की सामान्य मरम्मती/बंद योजनाओं को चालू करने हेतु विभिन्न प्रमंडलों को निधि उपलब्ध करा दी गई है तथा प्रमंडलों द्वारा एतद हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

कार्रवाई करना

18. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 11 सितम्बर, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "राज्य के दस प्रतिशत भी किसान नहीं प्राप्त कर सके के0सी0सी0 ऋण" के आलोक में रखते हुये क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के आँकड़ों के मुताबिक राज्य में दस प्रतिशत से भी कम किसानों को के0सी0सी0 उपलब्ध कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बैंक सरकार के लक्ष्य को भी अनदेखा करते हुये वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम तिमाही में 6.15 लाख लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3.38 लाख किसानों को ही के0सी0सी0 के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में के0सी0सी0 ऋण में बाधक बैंकों एवं संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा अधिक-से-अधिक किसानों को के0सी0सी0 उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

19. श्री प्रेम कुमार (क्षेत्र संख्या-230 गया टाउन)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 25 मई, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "जमाबंदी नाम में सुधार के पाँच लाख आवेदन रद्द" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि डाटा ऑपरेटर द्वारा लेखन में त्रुटि पदाधिकारियों द्वारा सभी आवेदन की सही ढंग से जाँच नहीं करने के कारण परिमार्जन के लिये आये 5 लाख से अधिक आवेदन को रद्द किये गये आवेदन कर दिया गया है, जिससे भू-खंड मालिकों को काफी परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कर रद्द किये गये आवेदन में सुधार कर परिमार्जन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--ऑनलाइन परिमार्जन प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 तक परिमार्जन हेतु कुल 3819381 (अड़तीस लाख उन्नीस हजार तीन सौ इक्कासी) आवेदन प्राप्त हुये जिसमें से कुल 3713378 (सैंतीस लाख तेरह हजार तीन सौ अठहत्तर) आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है ।

विभागीय पत्रांक 1733(9), दिनांक 14 जून, 2023 के आलोक में सभी जिलों में द्रुत गति से डिजिटाइज्ड जमाबंदियों को त्रुटियों का निराकरण किया जा रहा है । डिजिटाइज्ड जमाबंदियों की त्रुटियों का निराकरण का कार्य कुछेक जिलों में अपने अंतिम चरण में है । इससे यह परिलक्षित होता है कि आने वाले कुछ दिनों में डिजिटाइज्ड जमाबंदियों की त्रुटियों का निराकरण पूर्ण रूप से कर लिया जायेगा ।

विभाग द्वारा सभी समाहर्ता, बिहार को यह भी निर्देशित किया गया है कि अंचल स्तर पर ऑनलाइन दाखिल-खारिज प्रक्रिया के निष्पादन के कार्य से संबंधित कर्मी/पदाधिकारी विशेष रूप से ध्यान देंगे कि रैयतों के नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान इत्यादि में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं हो, जिससे आमजन को समस्याओं का सामना न करना पड़े तथा दाखिल-खारिज की प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में सुगमतापूर्वक निष्पादित हो सके ।

साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि अंचल स्तर पर ऑनलाइन दाखिल-खारिज प्रक्रिया के निष्पादन के कार्य में किसी भी प्रकार की अशुद्धि की स्थिति में संबंधित कर्मी/पदाधिकारी ही जिम्मेवार माने जायेंगे ।

राजस्व का हिस्सा देना

20. श्री प्रेम कुमार (क्षेत्र संख्या-230 गया टाउन)-क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि संविधान के 73वें संशोधन में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य में भूमि के निबंधन में प्राप्त राजस्व का हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को दिया जायेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में भूमि के निबंधन में प्राप्त राजस्व का हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं ग्राम पंचायतों को नहीं दिया जाता है जबकि नगर निकायों को भूमि निबंधन से प्राप्त राजस्व का हिस्सा दिया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार निबंधन से प्राप्त राजस्व का हिस्सा ग्राम पंचायतों को कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्लांट बंद का कारण

21. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "बैरिया में डेढ़ साल से प्रोसेसिंग प्लांट बंद होने से कचरे का पहाड़ बना, इलाके में वायु प्रदूषण बढ़ा" के आलोक में रखते हुये क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम के 75 वार्डों से प्रत्येक दिन 1200 टन से अधिक कचरा निकलता है जिससे बैरिया ट्रेंचिंग ग्राउंड में निस्तारण व प्रोसेसिंग हेतु प्लांट स्थापित किया गया है, जो विगत डेढ़ वर्ष से बंद होने तथा कचरा सेरिगेशन का कोई सिस्टम नहीं रहने के कारण इलाके में बदबू एवं वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाने और कचरे से मिथेन गैस उत्सर्जन के कारण आग लग जाने से चौतरफा धुआं फैलने की समस्या के चलते आस-पास के मानविकी जीवन पर कुप्रभाव पड़ रहा है, यदि हाँ, तो उक्त प्लांट को बंद होने का क्या औचित्य है ?

औचित्य बतलाना

22. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "महज 10 जिलों में ही पड़े हैं जमीन अधिग्रहण के 3,141 करोड़" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के जिला में सड़क निर्माण के लिये होने वाले जमीन अधिग्रहण के एवज में 13 हजार करोड़ रुपये दिये थे, जिसमें दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, पूर्णियाँ, सुपौल, रोहतास, मुंगेर सहित 10 जिलों में ही जमीन अधिग्रहण के लिये 3,141 करोड़ रुपये जिलों में विभाग के खाते में जमा है, जिस कारण सड़कों का निर्माण कार्य समय पर शुरू नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक वस्तुस्थिति यह है कि--

(1) विभिन्न परियोजनाओं के निमित भू-अर्जन के कार्य हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में अधियाचित विभाग द्वारा रैयतों के मुआवजा राशि के भुगतान हेतु राशि उपलब्ध कराया जाता है । राशि प्राप्त होते ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंचाट की घोषणा कर हितबद्ध रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक कागजात प्राप्त करके किया जाता है ।

(2) उल्लेखनीय है कि रैयतों द्वारा भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजात उपलब्ध कराये जाने में विलम्ब होने की स्थिति में भी मुआवजा राशि भुगतान में भी विलम्ब होता है । उक्त के अतिरिक्त हितबद्ध रैयतों के द्वारा भूमि की प्रकृति/दर पर आपत्ति प्रकट किये जाने एवं भूमि के स्वामित्व पर विवाद होने के स्थिति में मुआवजा राशि को सक्षम न्यायालय में मुआवजा राशि जमा कर अर्जित की जा रही भूमि पर अधियाची विभाग को दखल-कब्जा सौंप दिया जाता है, ताकि परियोजना को पूर्ण किया जा सके । सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के उपरान्त मुआवजा राशि के भुगतान के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाती है ।

(3) उक्त से स्पष्ट है कि सड़क परियोजना हेतु अर्जित की जा रही भूमि के मुआवजा राशि के भुगतान में विलम्ब का मुख्य कारण भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र एवं कागजात को हितबद्ध रैयतों द्वारा समय पर न उपलब्ध कराया जाना, हितबद्ध रैयतों द्वारा भूमि के किस्म एवं दर परिवर्तन की माँग सक्षम न्यायालय में वाद लम्बित रहना यदि है । कतिपय जिला से अवशेष राशि के संबंध प्राप्त सूचना अनुसार विवरणीय निम्नवत् है :-

क्रमांक	जिला का नाम	प्राप्त राशि	वितरित राशि	अवशेष राशि
1	पूर्वी चम्पारण	998.71 करोड़	780.43 करोड़	218.28 करोड़
2	पूर्णियाँ	164.82 करोड़	140.49 करोड़	21.86 करोड़
3	सुपौल	140.98 करोड़	85.39 करोड़	55.59 करोड़
4	मुंगेर	415.15 करोड़	304.23 करोड़	110.92 करोड़
5	दरभंगा	264.16 करोड़	176.19 करोड़	42.00 करोड़

उपरोक्त वर्णित अवशेष राशि के भुगतान हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है ।

विचार करना

23. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "तीन दिनों में केन्द्रीय वि0वि0 को 300 एकड़ जमीन मुहैया करायेगी सरकार" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री द्वारा महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी को तीन सौ एकड़ जमीन तीन दिनों में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 300 एकड़ जमीन का खाता, खेसरा, चौहद्दी अधिग्रहण के साथ महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--समाहर्ता पूर्वी चम्पारण से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति निम्नवत है :-

निदेशक उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1078, दिनांक 11 जून, 2015 द्वारा महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी के भवन निर्माण हेतु कुल रकबा 301.97 एकड़ भूमि

अर्जित करने हेतु अधियाचना प्राप्त है । उक्त के आलोक में महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को भवन निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गई भूमि की विवरणी निम्नवत है :-

(1) महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के भवन निर्माण हेतु सदर अंचल, मोतिहारी अन्तर्गत मौजा-फुरसतपुर, थाना नम्बर-208 में 103.03 एकड़ तथा मौजा-बनकट, थाना नम्बर-194 में 33.37 एकड़ अर्थात् कुल रकबा-136.40 एकड़ भूमि महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी को पूर्व में भूमि उपलब्ध कराया जा चुका है ।

(2) रकबा-140.05 एकड़ भूमि सरकारी भूमि है । जिसे निःशुल्क हस्तानान्तरण की स्वीकृति हेतु अभिलेख आयुक्त तिरहुत, प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के अनुशंसा के साथ विभाग को प्राप्त है । सम्प्रति प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग की सहमति हेतु शिक्षा विभाग को अभिलेख हस्तांतरित की गई है ।

पटना :
दिनांक 9 नवम्बर, 2023 (ई०) ।

राज कुमार,
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि०स०मु०, 59(एल०ए०), 2023-24-डी०टी०पी०-550